SITAPUR POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

दिनांक 01.10.26

सीतापुर पुलिस की बड़ी सफलता: फर्जी बैंक मैनेजर व महिला आयकर निरीक्षक बनकर 27 लाख की ठगी करने वाले अन्तर्देशीय शातिर दंपत्ति गिरफ्तार, 14 लाख नकद, सोने के आभूषण व कूटचरित पहचान पत्र बरामद

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्ण् बनाये रखने एवं अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक कृत्यों में लिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए फर्जी बैंक अधिकारी व आयकर निरीक्षक बनकर देश के विभिन्न राज्यों में ठगी करने वाले अंतरराज्यीय दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से **ठगी के 14 लाख रुपये नकद, 38.740 ग्राम सोने के आभूषण, फर्जी पहचान पत्र एवं 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद** किए गए हैं।

घटना क्रम-

फर्जी पहचान व किराए पर मकान लेना:

अभियुक्तों ने मई 2026 में सीतापुर आकर रेकी की। तत्पश्चात 31 अगस्त 2026 को प्रेम नगर (सीतापुर) में रामनरेश जायसवाल के मकान में किराये पर रहने आए। रोहित बाजपेयी ने खुद को PNB (पंजाब नेशनल बैंक) शाखा मिश्रिख, सीतापुर का शाखा प्रबन्धक बताया तथा फर्जी आईडी कार्ड दिखाया। वहीं उसकी पत्नी अन्नू बाजपेयी ने खुद को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में 'इन्स्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स' बताकर कूटरचित पहचान पत्र दिखाया।

ठगी व झांसा देकर रकम ऐंठना:

अभियुक्तों ने मकान मालिक व स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर नीलामी के गोल्ड बिस्किट सस्ते में दिलाने तथा कटे-फटे/दीमक लगे नोटों को बदलवाने के नाम पर कुल ₹27 लाख की ठगी की:

- रामनरेश जायसवाल से नीलामी के गोल्ड हेतु ₹20 लाख नकद तथा बदले जाने वाले नोटों के नाम पर ₹2 लाख (कुल ₹22 लाख)।
- दीदी प्रेमलता बाजपेयी के माध्यम से गोपाल स्वीट पर उनके विश्वासपात्र से ₹1 लाख।
- अतुल (लॉन्ड्री संचालक) से ₹4 लाख।

घटना के बाद फरार होना व खरीदारी:

दिनांक 14/09/2026 को ठगी के ₹27 लाख लेकर अभियुक्त इटावा से बुलाई गई अर्टिगा कार से सीतापुर से फरार हो गए। वे आगरा, कोटा, बैतूल तथा चेन्नई आदि शहरों में गाड़ियां बदलकर छुपते रहे। ठगी के पैसों से अभियुक्तों ने बिना बिल के ₹6 लाख के सोने के जेवर तथा ₹50,000 के 2 मोबाइल फोन खरीदे, जबकि शेष रकम यात्रा, होटलों और दैनिक खर्चों में उड़ा दी।

देशभर में फैला आपराधिक तंत्र:

पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे वर्ष 2005 से ही धोखाधड़ी के अपराधों में संलिप्त हैं। वे रिहायशी कॉलोनियों में बड़े मकान किराए पर लेकर, खुद को बैंक अधिकारी, एयरपोर्ट अधिकारी या कस्टम अधिकारी बताकर देश के विभिन्न राज्यों—उत्तर प्रदेश (झांसी, गाजियाबाद, बनारस, कुशीनगर, सीतापुर), मध्य प्रदेश (उज्जैन, रीवा, शिवपुरी), ओडिशा (भुवनेश्वर), राजस्थान (बीकानेर) तथा बिहार (पूर्णिया)—में करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं।

अपराध का तरीका (Modus Operandi):

अभियुक्तगण किराए का आलीशान मकान लेकर स्थानीय लोगों में खुद को PNB बैंक मैनेजर व आयकर अधिकारी बताकर विश्वास जमाते थे। इसके बाद नीलामी का सोना सस्ते दामों में दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी कर फरार हो जाते थे। अभियुक्तों द्वारा उत्तर प्रदेश (सीतापुर, गाजियाबाद, बनारस, झांसी, कुशीनगर), ओडिशा (भुवनेश्वर), राजस्थान, मध्य प्रदेश व बिहार समेत कई राज्यों में इस प्रकार की ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है

गिरफ्तार अभियुक्तगण:

1. रोहित बाजपेई पुत्र स्व0 दिनेश चंद बाजपेई, निवासी- ग्राम/मोहल्ला यूसुफपुर, भगवान मकरंद नगर, थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज।
2. अन्नू बाजपेई उर्फ चंद्रा पत्नी रोहित बाजपेई, निवासी- पटनी टाउन, थाना भरतपुर, जिला चितवन (नेपाल)।

बरामदगी का विवरण:

1. नकद राशि: ₹14,00000/- (चौदह लाख रुपये) नकद (500 रुपये की 28 गड्डियां)।
2. पीली धातु (सोने के आभूषण): कुल वजन 38 ग्राम 740 मिलीग्राम (1 चैन मय लॉकेट, 1 चैन, 3 अंगूठी, 2 कान के टप्स, 2 ब्रेसलेट - अनुमानित कीमत करीब 6 लाख रुपये)।
3. कूटरचित दस्तावेज/पहचान पत्र:
    - 1 अदद फर्जी ID कार्ड PNB बैंक (शाखा प्रबंधक, मिश्रिख)।
    - 1 अदद फर्जी पहचान पत्र आयकर विभाग (भारत सरकार)।
    - 2 अदद कूटरचित आधार कार्ड एवं 1 अदद कूटरचित पैन कार्ड।
4. इलेक्ट्रॉनिक्स: 2 अदद नए एंड्रॉइड मोबाइल फोन (OPPO एवं SAMSUNG) तथा 2 पुराने मोबाइल फोन।

आपराधिक इतिहास रोहित बाजपेयी उपरोक्त-

- मु0अ0सं0 607/24 धारा 318(4)बीएनएस थाना खंडागिरी जनपद भुवनेश्वर उड़ीसा
- मु0अ0सं0 83/26 धारा 316(2)/318(4) बीएनएस थाना सहायक खजांची जनपद पूर्णिया बिहार
- मु0अ0सं0 128/25 धारा 318(4) बीएनएस थाना जयनारायण बस कालोनी जनपद बीकापुर राजस्थान
- मु0अ0सं0 1159/2020 धारा 420 आईपीसी थाना चिमनगंज मंडी जनपद उज्जैन म0प्र0
- मु0अ0सं0 375/23 धारा 420 आईपीसी थाना अमहिया जनपद रीवा म0प्र0
- मु0अ0सं0 805/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना खंडगिरी जनपद भुवनेश्वर उड़ीसा
- मु0अ0सं0 806/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना खंडगिरी जनपद भुवनेश्वर उड़ीसा
- मु0अ0सं0 807/24 धारा 318(4) बीएनएस थाना खंडगिरी जनपद भुवनेश्वर उड़ीसा
- मु0अ0सं0 614/2020 धारा 420/406 आईपीसी थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद उ0प्र0
- मु0अ0सं0 1635/2017 धारा 419/420 आईपीसी थाना जीआरपी झांसी जनपद झांसी उ0प्र0

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम थाना कोतवाली नगर:

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री दिनेश प्रकाश पाण्डेय
2. उ0नि0 रामचंद्र यादव
3. उ0नि0 मंजीत कुमार
4. उ0नि0 अवधेश यादव
5. का0 मोहित चौधरी
6. का0 प्रिंस तोंगर
7. का0 दीपक बंगा
8. का0 रवि सिंह
9. म0का0 रितु
10. म0 का0 पूजा

स्वाट टीम-

उप निरीक्षक श्री अरविन्द शुक्ला
हे0का0 शराफत अली
हे0का0 हेमन्त कुमार सिंह
हे0का0 अविनाश सिंह
हे0का0 सोहनपाल
हे0का0 अनुराग पाण्डेय
क0आ0 गुरपाल सिंह
का0 दीपक
का0 पुनित कुमार
का0 प्रशांत शेखर सिंह
का0 सोनल तोमर
का0 दानवीर
का0 भान
का0 शैंकी
म0का0 डॉली रानी

सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कार की घोषणा:

पुलिस टीम के इस उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य से प्रसन्न होकर पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा सफलता प्राप्त करने वाली पूरी पुलिस/स्वाट टीम को ₹25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है।

ANKUR AGARWAL

RESERVE BANK OF INDIA
भारतीय रिज़र्व बैंक
₹500

V-MARC
INDIA
भारत का
सबसे
Safe Wire
थाना कोतवाली नगर
जनपद - सीतापुर